न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 16/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/4

प्रार्थी

1. पन्नाराम रेवाड़ पुत्र श्री भगवानराम जाति जाट
2. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासीगण दाबड़िया हाल निवासी बेसरोली तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री राजपालसिंह पुत्र पन्नाराम रेवार्ड जाति जाट निवासी दाबड़िया तहसील मकराना पुलिस थाना गच्छीपुरा जिला डीडवाना–कुचामन।
2. अशोक पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी दाबड़िया तहसील मकराना पुलिस थानां गच्छीपुरा जिला डीडवाना–कुचामन।
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना गच्छीपुरा जिलां डीडवाना–कुचामन।
4. श्री जे.पी. बेरवा हाल सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

<u>प्रार्थना पत्र अधीन धारा 411 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>
वास्ते मुन्तकिल करने पत्रावली फौजदारी प्रकरण सं0 06/2023 बअनवान सरकार जरिये थानाधिकारी गच्छीपुरा बनाम पुष्पेन्द्र वगैरा अधीन धारा 145 द.प्र.सं. अदालत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मकराना

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री कमल मोठ
2. अप्रार्थी सं0 01 की ओर से वकील श्री सिकन्दर खां

आदेश दिनांकः 09.04.2024

1. प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मकराना के न्यायालय के प्रकरण संख्या 06/2023 बअवान सरकार जरिये थानाधिकारी गच्छीपुरा बनाम पुष्पेन्द्र वगैरा को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने बाबत पेश किया।
2. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा बेसरोली के खसरा सं0 81 व 81/1 रकबा 8.7088 हेक्टेयर प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति है। जिसको बेचान, रहन, गिरवी, बख्शीश आदि करने का प्रार्थी को हक व अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

इन्ही हक अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रार्थी सं0 01 ने प्रार्थी सं. 02 पुषेन्द्र सिंह व अप्रार्थी अशोक चौधरी के नाम एक बख्शीशनामा दिनांक 22.01.2021 को पंजीयन करवा दिया। इस प्रकार प्रार्थी सं0 01 की हक खातेदारी की कृषि भूमि मौजा बेसरोली के 81 रकबा 6.2807 हैक्टयर व खसरा सं0 81/1 रकबा 2.4281 हैक्टयर कुल रकबा 8.7088 हैक्टयर सम्पूर्ण रकबा को प्रार्थी सं0 02 व अप्रार्थी सं0 02 के हक में बख्शीश कर कब्जा काश्त भूमि का सुपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से निरन्तर कब्जा काश्त प्रार्थी सं0 01 व अप्रार्थी सं0 02 का रहता चला आया है।

3. अप्रार्थी सं0 01 राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है तथा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया में भी करन का प्रयास कर अप्रार्थी सं0 01 द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मकराना के यहां उपरोक्त बख्शीशनामा दिनांक 22.01.221 को काल्पनिक अविधिक आधारों पर निरस्त करने हेतु दिवानी वाद सं0 31/2021 बअनवान राजपालसिंह बनाम पनाराम वगैरा प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मकराना द्वारा दिनांक 09.04.2021 को वादी का वाद प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया क्योंकि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत बेचाननामा से न्यायालय ने उक्त सम्पति को प्रार्थी सं0 01 पनाराम की स्वअर्जित सम्पति माना। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी राजपालसिंह ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में कार्यवाही की मगर वहां से भी उसे कोई रिलिफ नहीं मिली व सम्पति हमारी स्वअर्जित मानी।

4. चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 राजपालसिंह की पुत्री वर्तमान में मकराना प्रधान है एवं उसी प्रभाव का प्रयोग करते हुए न्यायालय एस.डी.एम. मकराना के समक्ष उक्त भूमि को विवादित बनाने तथा जानबुझ कर प्रार्थी सं0 02 व अप्रार्थी सं0 02 को उनके खातेदारी कब्जा काश्त हक अधिकारों से वंचित करने के उद्धेश्य से मिथ्या कथन अंकित कर मिथ्या घोषणा कर झुठे [illegible] नाम लिखवा कर इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. का प्रस्तुत [illegible] आराजी भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना कर दी [illegible]। जिस पर प्रकरण संख्या 06/2023 दर्ज कर वास्तविक कब्जा के संबंध में रिपोर्ट अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना-कु...

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

न्यायालय एस.डी.एम. मकराना द्वारा मांगी गई जबकि वास्तव में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त खातेदारी हक अप्रार्थी सं0 02 व प्रार्थी सं0 02 का है।

5. अप्रार्थी सं0 01 राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है व उसकी पुत्री सुनिता वर्तमान में मकराना प्रधान है जिस कारण अप्रार्थी सं0 01 का एस.डी.एम. के पास व्यक्तिगत आना जाना लगा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण एस.डी.एम. मकराना जे.पी.बेरवा पर राजनैतिक दबाव बनाया जाकर इस्तगासा जांच हेतु पुलिस में भिजवाया गया है।

6. पुलिस द्वारा भी राजनैतिक दबाव के कारण सही जांच नहीं कर झुठे गवाह के आधार पर मिथ्या जांच रिपोर्ट पेश कर प्रार्थी सं0 02 व अप्रार्थी सं0 02 की भूमि व फसल को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है।

7. अप्रार्थी सं0 01 राजनैतिक दवाब के कारण प्रार्थी पक्ष को धमकी भी दे रहा है तथा यह भी कह रहा है कि एस.डी.एम. मकराना जैसा हम कहेंगें वैसा ही करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त कारणों के मध्य नजर पत्रावली संख्या 06/2023 बअनवान राज0 सरकार बनाम पुष्पेन्द्र व राजपालसिंह सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट मकराना आगामी तारीख पेशी 07.07.2023 को तलब कर एस.डी. एम. मकराना के अलावा अन्यत्र सक्षम अधिकारी को सुनवाई व निर्णय हेतु मुन्तकिल करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 राजपालसिंह की तरफ से वकील श्री सिकन्दर खां ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों को दोहराया तथा पत्रावली संख्या 06/2023 बअनवान राज0 सरकार बनाम पुष्पेन्द्र व राजपालसिंह सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट मकराना आगामी तारीख पेशी 07.07.2023 को तलब कर एस.डी.एम. मकराना के अलावा अन्यत्र सक्षम अधिकारी को सुनवाई व निर्णय हेतु मुन्तकिल करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी मकराना का स्थानान्तरण हो चुका है तथा जिस अधिकारी के विरूद्ध यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है उनका स्थानान्तरण अन्य जगह हो चुका है। अतः पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

बहस के तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली प[illegible] उपल[illegible] रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का यह आरोप है कि अप्रार्थीगण सं[illegible] 01 व 02 पीठासीन अधिकारी (सब डीवीजनल मजिस्[illegible]) [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय कराने पर उतारू है परन्तु प्रार्थीगण [illegible] ऐसा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पीठासीन अधिकारी से मिले हूए हो। जिन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थीगण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है उनका स्थानान्तरण अन्य स्थान पर हो चुका है। प्रार्थीगण का आरोप है कि नये पीठासीन अधिकारी से भी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मिली भगत कर प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित करवा सकते है परन्तु इस संबंध में भी प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य या सबुत पेश नहीं किये है।

चुकि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है उनके स्थान पर नये पीठासीन अधिकारी आ चुके है ऐसी स्थिति में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने के कारण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **09.04.2024** को सुनाया गया।

9/4/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कु...

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:22 IST
Reason: SelfAttested